दिलोपित

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ....R...... I / 13

R 575-I/13

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि 11/2/13 को प्रस्तुत

11-2-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

11/2/13

राधेश्याम पुत्र बैताल सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बरबाई तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

...........................आवेदक

बनाम

महिला कमला देवी कथित पुत्री बैताल सिंह पत्नी शिवचरन जाति ब्राहम्ण झण्डाधारी हनुमान मन्दिर के पास तानसेन रोड लोको के पास ग्वायिलर तह0 व जिला ग्वालियर

.........................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 28/12/2012 न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय मुरैना के प्र0क0 75/11–12 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है–

01– यह कि मौजा वरवाई तह0 पोरसा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमियों के आवेदक के पिता बैताल सिंह आजीवन भूमि स्वामी रहे तथा आवेदक उनका एक मात्र पुत्र है । आवेदक के अलावा मृतक बैताल सिंह का अन्य कोई वारिसान नहीं है ।

02– यह कि आवेदक के पिता बैताल सिंह की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत वरवाई ने नामान्तरण पंजी क0 31 दिनांक 15/04/06 ठहराव क0 13 में पारित आदेश दिनांक 19/05/06 से विधिवत नामान्तरण आदेश पारित किया जिसका पटवारी अभिलेख में अमल होकर आवेदक भूमि स्वामी एवं आधिपत्य धारी होकर कास्त करता चला आ रहा है ।

R 575-II/13 (मुरैना)

5-7-16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 75/2011—12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28—12—2012 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि स्वर्गीय बेताल सिंह के खाते की भूमि पर आवेदक का नामांत्रण ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 31 पर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 15—4—2006 से किया गया है, जिसके विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष अपील कमांक 83/06—07 प्रस्तुत की, जिसमें अंतरिम आदेश दिनांक 28—3—12 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा दिया गया एंव प्रकरण तर्क हेतु नियत किया। आवेदक ने इस आदेश की निगरानी अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 75/2011—12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक

28–12–2012 निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत कर बताया गया है कि महिला कमला देवी मृतक खातेदार बेताल सिंह की कोई नहीं है इसलिये उसे अपील करने की अधिकारिता नहीं है जबकि महिला कमला देवी के अभिभाषक के अनुसार मृतक खातेदार बेताल सिंह की वह पुत्री है। विचार योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये प्रकरण में सुनवाई हेतु तिथि नियत करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 एंव अवधि विधान 1963 की धारा–5 में व्यवस्था दी गई है कि यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये कारणों से संतुष्ट है विलम्ब क्षमा कर सकता है। आवेदक की आपत्ति यह है कि महिला कमलादेवी मृतक खातेदार बेताल सिंह की कोई नहीं है जबकि महिला कमला देवी के अनुसार वह मृतक खातेदार बेताल सिंह की बेटी है और यह जांच से एंव साक्ष्य से ही पता लगाया जा सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–6–07 उचित प्रतीत होता है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर मुरैना से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 75/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–12–2012 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य